न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 51/2017
मुनेश्वर स्वर्णकार वगैरह - बनाम - नारायण यादव वगै०
धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

08.7.17

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी धनवार से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के विरुद्ध नोटिस निर्गत कर न्यायालय में बहस सुन कर दोनो पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विवादग्रस्त भूमि पर दं० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है! – मौजा -गुण्डरी खाता न० 34 प्लॉट न० 1742 रकबा 10 डी० चौहदी:– उ०-गली, द०-शेष जमीन 06 डी० फकीर का, पु०– जानकी महतो का खरीदगी जमीन प०– मथुरा चौधरी का खाली जमीन। उक्त प्रश्नगत विवादित भूमि के संबंध में उभय पक्षों के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया. जिसमें दोनो पक्षों का कथन लिखित बहस में अंकित है। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उन्हे वजरिये निबंधित केवाला से हासिल है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोग बाजबरन मकान का निर्माण कर रहे है जो गलत है। प्रथम पक्ष के ओर से जमीन संबंधी दस्तावेज की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत-

P.T.O.

भूमि द्वितीय पक्ष को भी निबंधित केवाला से हासिल हुआ है। जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर मकान का निर्माण कार्य किया गया। उक्त संदर्भ में उनके द्वारा भी भूमि संबंधी दस्तावेज की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि पर दोनो पक्ष दावा करते है। मामला स्वत्व का प्रतीत होता है जिसका निर्णय माननीय सक्षम न्यायालय में संभव है भूमि का स्वत्व हेतु पक्षकार माननीय सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवायी समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।